

31-1-18 पत्रावली पेश हुई। व्हीम वादीगण उपस्थित। व्हीम वादीगण
 प्राप्त पत्रावली हस्ता प्री, रिपोर्ट पर कदम चरनी जारी। पत्रावली
 हस्ता प्री रिपोर्ट पर कदम चरनी जारी। वारंदा ~~का~~ ~~को~~
 हेतु पत्रावली दिनांक 9-2-18 को पेश की।

9-2-18 पत्रावली पेश हुई। स्वतंत्र न्याय एकोप्रीकरण के द्वारा कार्यवाही
 समाप्त दिनांक 14-2-18 को पेश की। P.O. का न्याय राजकीय कार्य के अन्तर्गत
 ही कारवाही को करा हेतु पत्रावली दिनांक 14-2-18 को पेश की। P.O.

14-2-18 पत्रावली पेश हुई। व्हीम वादीगण उपस्थित। P.O. का न्याय
 राजकीय कार्य के अन्तर्गत ही कारवाही को करा हेतु पत्रावली दिनांक
 15-2-18 को पेश की। P.O.

15-2-18 पत्रावली पेश हुई। व्हीम वादीगण उपस्थित। P.O. का न्याय
 राजकीय कार्य के अन्तर्गत ही कारवाही को करा हेतु पत्रावली दिनांक
 26-2-18 को पेश की। P.O.

26-2-18 पत्रावली पेश हुई। व्हीम वादीगण उपस्थित। व्हीम वादीगणों
 कदम चरनी जारी। व्हीम वादीगण प्री कदम चरनी जारी। परन्तु
 के दौरान व्हीम वादीगण ने कथन दिया कि कांड पर के त्रेडि
 तथ्यों, इन्-लोपेज व साक्ष्य के आधार पर कांड पर को सीमित
 किया जाके प्री इन्-लड कर प्री)

पत्रावली का इन्-लोपेज दिनांक तथा कदम पर प्रगत दिनांक
 प्राप्त आग्राम एका दाना निर्दिष्ट एक दिनांक 20-1-18 को
 पारित की जाती। जबकि पत्रावली हस्ता प्री रिपोर्ट दिनांक 4-5-15
 के दाना विवादीगण द्वारा उपस्थित का प्रिदाव होने के वादीगण
 के पत्रावली अर्थात् कांड के नाम प्री राजस्व के तहत के दर्ज नहीं होती
 तथा न ही वह कांड पर के प्रकृत ही ऐसी प्रिदाव के कांड पर के
 जारी जाती दादरमी का कोई प्रिदाव नहीं ही इन्-लड कर वादी
 प्रकृत नहीं होने तथा अर्थात् कांड दाना कांड पर के प्रकृत
 नहीं होने के वादी का कांड पर काव प्रकृत प्रकृत के प्रकृत
 के अर्थात् दिनांक जाता ही पत्रावली के प्रकृत प्रकृत प्री कांड
 प्रकृत दादरमी ही।

उपस्थित अधिकारी
 पी.के.एस. (राज.)